कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2021 / 400 लखनऊःदिनांकः 17 फरवरी, 2022

यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 के अन्तर्गत त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध मे आवश्यक सूचना।

यू0पी0 नीट यू0जी0–2021–22 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त हुआ है और वह प्रथम चक्र से काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्याग–पत्र देना चाहते है, तो वह आल इण्डिया अथवा अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से आवंटित सीट से संबंधित आवंटन–पत्र प्रस्तुत कर नोडल सेन्टर (जहॉ पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो) पर **दिनांक 01.03.2022 को सायं 05:00 बजे तक** यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 हेतु नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 17 जनवरी, 2022 में निहित शर्तो / प्रतिबन्धो के अधीन अपना त्याग–पत्र दे सकते है :–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा **समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।**
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा **शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।**
- ऐसे अभ्यथी जिन्होंने मेडिकल / डेण्टल कालेजो में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा उन्हें आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नही होती है, ऐसे अभ्यर्थी उक्त तिथि तक अपनी सीट से त्याग–पत्र दे सकते है, ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क, दोनो मे से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।
- प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉप–अप की काउंसिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग–पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क दोनों से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।

महानिदेशक।